

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/298-99

दिनांक: 31/5/19

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय  
राजस्थान।


विषय: ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में रोके जाने वाले शैक्षणिक संकाय सदस्यों के  
संबंध में दिशा-निर्देश  
संदर्भ : विभाग का पत्रांक एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/289 दिनांक  
10.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में चाही गई सूचना निर्धारित  
तिथि तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु चाही गई सूचना आदिनांक तक अधिकांश  
महाविद्यालयों से प्राप्त नहीं हुई है।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना विभाग को अविलम्ब भिजवायें। साथ  
ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व आयुक्तालय की  
अनुमति प्राप्त करें।

भवदीय,




(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:

क्रमांक: एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/

प्रतिलिपि: बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
31/5/19  
(डॉ.आर.सी.मीना)  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)